

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ जयपुर में पटवारी 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

➤ आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 28 जून, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर-चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने एवं तारबंदी योजना के अन्तर्गत नक्शा ट्रेस देने की एवज में जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा 5 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर-चतुर्थ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना भाटी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनिता मीना एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद बैरवा पुत्र श्री रामलाल बैरवा निवासी 35 बैरवा बस्ती घाटा बैनाड़ा जयपुर, हाल पटवारी, पटवार हल्का किशोरपुरा अतिरिक्त चार्ज हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।